

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 521/2011

संस्थापन दिनांक 17.07.2011

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1-जण्डेल पुत्र महाराजसिंह कौरव, उम्र 36 साल,
निवासी ग्राम कचनपुर थाना एण्डोरी जिला भिण्ड

— अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 12.07.11 को 19:00 बजे बाराहेड रोड कंचनपुर के तिराहे पर अपने आधिपत्य में एक धारदार लोहे का बका मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक 63126552-11बी(आई) दिनांकित 22 नवम्बर 1974 के उल्लंघन में धारा 4 आयुध अधिनियम के अपालन में रखा।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12.07.11 को 17:00 बजे ए.एस.आई. सुभाष पाण्डे अ0सा03 आरक्षक लालताप्रसाद अ0सा02 व बृजेश माहौर अ0सा01 के साथ शासकीय वाहन से रोड भ्रमण व चैकिंग हेतु रवाना हुए थे तथा खनेता, छीमका तिराहा होते हुए बाराहेड रोड कंचनपुर तिराहे के पास पहुंचने पर एक आदमी इकहरे बदन का अपने दाहिने हाथ में लोहे का बका धारदार लेकर खड़ा था तथा पुलिस वाहन देखते ही उसने भागने की कोशिश की थी तो फोर्स की मदद से उस व्यक्ति को घेरकर पकड़ा तथा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम जण्डेलसिंह पुत्र महाराजसिंह कौरव निवासी कंचनपुर का होना बताया तब आरोपी से बका रखने का लाइसेन्स मांगने पर आरोपी ने न होना बताया। तत्पश्चात बका समक्ष गवाहन जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी-1 बनाया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-2 बनाया तत्पश्चात मय माल व आरोपी के थाना वापिस आकर थाना एण्डोरी में अप0क्र0 97/11 की एफ.आई.

आर. प्र0पी-4 पंजीबद्ध की गयी। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि क्या आरोपी ने दिनांक 12.07.11 को 19:00 बजे बाराहेड रोड कंचनपुर के तिराहे पर अपने आधिपत्य में एक धारदार लोहे का बका मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक 63126552-11बी(आई) दिनांकित 22 नवम्बर 1974 के उल्लंघन में धारा 4 आयुध अधिनियम के अपालन में रखा ?

// विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

5. साक्षी सुभाष पाण्डे अ0सा03 का कथन है कि वह दिनांक 12.07.11 को थाना एण्डोरी पर ए.एस.आई. के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को रोजनामचा सान्हा क्रमांक 351 मय आरक्षक लालताप्रसाद अ0सा02 तथा सैनिक नगर रक्षा समिति बृजेश माहौर अ0सा01 के शासकीय वाहन से भ्रमण हेतु रवाना हुए थे। भ्रमण करता हुआ कंचनपुर तिराहा पहुंचा तो तिराहे पर एक आदमी हाथ में लोहे का बका लिए खड़ा था पुलिस को देखकर उसने भागने का प्रयास किया जिसे छेरेकर पकड़ा तथा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम जण्डेलसिंह पुत्र महाराजसिंह कौरव उम्र 36 साल निवासी कंचनपुर का होना बताया। लोहे का बका धारदार होने के संबंध में लाइसेन्स पूछा तो नहीं होना पाया गया। मौके पर गवाहन लालताप्रसाद अ0सा02 व बृजेश कुमार अ0सा03 के समक्ष बका जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी-1 बनाया जिस पर बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा मौके पर आरोपी जण्डेल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-2 बनाया जिस पर सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मय माल मय आरोपी के थाना वापिस आकर एफ.आई.आर. प्र0पी-4 अप0क्र0 97/11 धारा 25बी आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया जिस पर ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तथा रोजनामचा में वापिसी की थी जिसकी नकल प्र0पी-5 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
6. लालताप्रसाद अ0सा02 ने कथन किया है कि दिनांक 12.07.11 को वह सुभाष अ0सा03 के साथ कार्यवाही के लिए बाराहेड गया था। जहां एक लड़का हाथ में बका लिए हुए था। सुभाष अ0सा03 ने उसे टोककर तथा घेरकर पकड़ा और नाम पता पूछा तो उपस्थित व्यक्ति साक्ष्य के दौरान उपस्थित आरोपी जण्डेलसिंह ही था आरोपी से बका जप्त किया था जिसके बाद आरोपी को थाने ले गये थे। जप्ती पत्रक प्र0पी-1 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
7. साक्षी बृजकिशोर अ0सा01 ने कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। उसके समक्ष पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की ना ही उसे घटना की जानकारी है। जप्ती पत्रक प्र0पी-1 व गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। वह वर्ष 2011 में नगर रक्षा समिति में था इसलिए पुलिस ने कुछ दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर कराये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को

पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 12.07.11 को वह और लालताप्रसाद अ0सा02 पुलिस की गाड़ी में बैठकर बाराहेड रोड पर पहुंचे थे। इस सुझाव से भी इंकार किया गया कि आरोपी से एक बका जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-3 में भी दिए जाने से इंकार किया है। अतः इस स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।

8. सुभाष अ0सा03 ने पैरा 4 में कथन किया है कि उसने अपनी तलाशी का पंचनामा नहीं बनवाया लेकिन अपनी तलाशी दी थी और इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने अपनी व अपने साथियों की तलाशी आरोपी को पकड़ने से पूर्व नहीं दी थी। लेकिन लालताप्रसाद अ0सा02 ने पैरा 2 में कथन किया है कि आरोपी की तलाशी लेने के पूर्व सुभाष अ0सा03 ने अपनी तलाशी नहीं दी और उसने भी अपनी तलाशी नहीं दी। अतः स्वयं की तलाशी दिए जाने के संबंध में उक्त दोनों पुलिस साक्षीगण ने विरोधाभासी कथन किए हैं।
9. लालताप्रसाद अ0सा02 ने पैरा 2 में कथन किया है कि वह थाने से 4 बजे चला था। लेकिन प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि वह सरकारी गाड़ी से शाम 5:00 बजे गया था। अतः थाने से रवाना होने के दो समय बताये हैं जबकि सुभाष अ0सा03 ने पैरा 2 में कथन किया है कि वह 17:00 बजे रवाना हुए थे।
10. लालताप्रसाद अ0सा02 ने पैरा 2 में कथन किया है कि बाराहेड चौराहे के आसपास बीड़ी बण्डल और परचूनी आदि की दुकानें हैं वह और डाइवर गये थे और जप्ती के समय उन दो के अलावा अन्य कोई नहीं था। अतः इस साक्षी ने बृजेश अ0सा01 की घटनास्थल पर उपस्थिति नहीं बतायी है लेकिन सुभाष अ0सा03 ने पैरा 2 में कथन किया है कि वह भ्रमण के लिए चार लोग गये थे और पैरा 3 में कथन किया है कि बृजेश अ0सा01 जो उसके साथ गया था इसके अलावा अन्य कोई हो तो उसे याद नहीं है। अतः सुभाष अ0सा03 ने स्वतंत्र साक्षी बृजेश अ0सा01 की उपस्थिति बतायी है लेकिन स्वयं बृजेश अ0सा01 व पुलिस साक्षी लालताप्रसाद अ0सा02 ने बृजेश अ0सा01 की उपस्थिति से इंकार किया है जो सुभाष अ0सा03 के कथन को इस बिन्दु पर असत्य बनाता है कि बृजेश अ0सा01 भी घटनास्थल पर था।
11. सुभाष अ0सा03 ने मुख्यपरीक्षण में मात्र यह बताया है कि आरोपी से लोहे का धारदार बका जप्त हुआ था और लालताप्रसाद अ0सा02 ने भी मात्र बका जप्त होना ही बताया है। उक्त दोनों साक्षीगण ने मौखिक साक्ष्य से स्पष्ट नहीं किया है कि बके की ब्लेड की लंबाई व चौड़ाई कितनी थी। धारा 4 आयुध अधिनियम के अधीन बका उसी दशा में प्रतिबंधित आयुध की श्रेणी में आ सकता है जबकि वह प्रतिबंधित आकार का हो। इस संबंध में ही अभियोजन द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है और ना ही जप्ती पत्रक प्र0पी-1 की अंतर्वस्तु भी मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित नहीं की गयी है।
12. बके के संबंध में जप्ती पत्रक प्र0पी-1 में उल्लिखित है कि बेंटा लोहे का है लकड़ी नहीं लगी हुई है लेकिन लालताप्रसाद अ0सा02 ने कथन किया है कि बका में काठ का बेंटा लगा था। अतः बके के स्वरूप के संबंध में लालताप्रसाद अ0सा02 ने जप्ती पत्रक प्र0पी-1 में उल्लिखित स्वरूप से भिन्न कथन किया है।
13. अतः बका प्रतिबंधित आकार का होने के संबंध में अभियोजन द्वारा

मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की गयी है। अपितु बका के स्वरूप के संबंध में ही लालताप्रसाद अ0सा02 ने जप्ती पत्रक प्र0पी-1 से विरोधाभासी साक्ष्य पेश की है। जामा तलाशी के संबंध में लालताप्रसाद अ0सा02 व सुभाष अ0सा03 के कथन में विरोधाभास है। स्वतंत्र साक्षी बृजेश अ0सा01 की उपस्थिति के संबंध में भी सुभाष अ0सा03 के कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं हुए हैं। अतः उपरोक्त कारणों से अभियोजन साक्षीगण के मौखिक कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं। अभियोजन साक्षीगण के कथन पर निर्भर रहने योग्य प्रतीत नहीं हुए हैं। अतः अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 12.07.11 को 19:00 बजे बाराहेड रोड कंचनपुर के तिराहे पर अपने आधिपत्य में एक धारदार लोहे का बका मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक 63126552-11बी(आई) दिनांकित 22 नवम्बर 1974 के उल्लंघन में धारा 4 आयुध अधिनियम के अपालन में रखा।

14. परिणामतः आरोपी को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के आरोपित आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
15. आरोपी के जमानत व मुचलके उन्मोचित किए जाते हैं।
16. प्रकरण में जप्त बका अपील अवधि पश्चात विनिष्ट किया जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पाल किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)